

2. Please Credit the amount of eligible balance in my matured account to my SB Account no. _____ standing at _____ (Name of Account office).

or

Please issue a Demand Draft/account payee cheque

or

Please pay in cash (applicable if the amount is below permissible limit).

*Certified, that the amount sought to be withdrawn/loan to be availed is required for the use ofwho is alive and still a Minor.

Signature or thumb impression of depositor/guardian

(Thumb impression should be attested by a person known to Accounts office)

Payment Order

(For office use only)

Date

Payment detail

Principal amount Rs. _____

(+) Interest due Rs. _____

(-) Recovery of overpaid interest Rs. _____

Deduction if any Rs. _____

Total Amount due Rs. _____

Pay Rs. _____ (in figures) _____ (in words)

Date

Signature of Postmaster/Manager

Acquittance

(to be filled by depositor)

Received Rs. _____ (In figures) _____ (in words) By cash/cheque/DD bearing no.dated. /by transfer to Account No.

Date

Signature/thumb impression of depositor/guardian

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 915(अ).— केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम लोक भविष्य निधि स्कीम, 2019 है।

2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषा**— (1) इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) “खाता” से इस स्कीम के अधीन खोला गया खाता अभिप्रेत है;
- (ख) “खाता धारक” से जिसके नाम खाता धारित हो, वह व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (ग) “अधिनियम” से सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) अभिप्रेत है;
- (घ) “प्ररूप” से इस स्कीम से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
- (ङ) “साधारण नियम” से सरकारी बचत संवर्धन साधारण नियम, 2018 अभिप्रेत है;
- (च) “वर्ष” से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में और साधारण नियम में हैं।

3. **खातों की संख्या की सीमा** – (1) कोई व्यक्ति प्ररूप-1 में आवेदन देकर खाता खोल सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, प्रत्येक अवयस्क या विकृत चित्त व्यक्ति, जिसका वह संरक्षक है, की ओर से भी खाता खोल सकेगा:

परंतु, किसी संरक्षक द्वारा अवयस्क या विकृत चित्त व्यक्ति के नाम से केवल एक खाता खोला जाएगा।

(3) इस स्कीम के अधीन संयुक्त खाता नहीं खोला जाएगा।

4. **अभिदान की सीमा** – (1) एक निक्षेप पचास रुपए के गुणक में पांच सौ रुपए से कम और एक लाख पचास हजार रुपए से अधिक न हो, एक वर्ष में खाता में किया जा सकेगा।

(2) किसी व्यक्ति द्वारा उप-पैरा (1) में यथा विनिर्दिष्ट एक लाख पचास हजार रुपए की अधिकतम सीमा स्वयं के खाते में किए गए निक्षेपों का समावेशी होगा।

5. **निक्षेप करने की रीति** – (1) कोई खाता कम से कम पांच सौ रुपए के निक्षेप से खोला जा सकेगा और उसके पश्चात् पचास रुपए के गुणक में कोई भी राशि निक्षेप की जा सकेगी।

(2) खाते में निक्षेप पैरा 4 में उल्लिखित सीमाओं के अधीन खाते में एक मुश्त राशि या किस्तों में किया जा सकेगा।

6. **खाते को बंद करना** – (1) कोई खाता, जिसमें कोई खाताधारक प्रारंभिक वर्ष में पांच सौ रुपए जमा करके, निम्नलिखित वर्षों में न्यूनतम रकम का निक्षेप करने में असफल रहता है, तो उसका खाता बंद हुआ समझा जाएगा।

(2) उप-पैरा (1) के अधीन बंद किया गया कोई खाता प्रत्येक वर्ष की त्रुटि के लिए न्यूनतम पांच सौ रुपए बकाया के साथ पचास रुपए फीस का संदाय परिपक्वता अवधि के दौरान करके पुनरुजीवित कर सकेगा:

परंतु बंद किये गए खाते में अतिशेष इसकी परिपक्वता के पूर्व खाता धारक द्वारा पुनरुजीवित नहीं है, समय-समय पर स्कीम की लागू दर पर ब्याज पाता रहेगा।

(3) बंद खाते का खाता धारक, परिपक्वता के पश्चात् ऐसे बंद खाते की बंदी के पूर्व नया खाता खोलने के लिए अर्ह नहीं होगा:

परंतु ऋण और आंशिक प्रत्याहरण की सुविधा ऐसे खाते में अनुज्ञात नहीं की जाएगी और खाताधारक ऐसे खाते की अंतिम बंदी तक इस स्कीम के अधीन अपने नाम से अन्य खाता खोलने से प्रतिषिद्ध होगा।

(4) ऋण और आंशिक प्रत्याहरण की सुविधा इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार केवल नियमित खातों के लिए अनुज्ञात की जाएगी।

(5) पैरा 4 में यथा विनिर्दिष्ट एक वर्ष में कुल निक्षेप पूर्ववर्ती वर्षों के व्यतिक्रम के वर्षों के संबंध में किए गए निक्षेपों सहित होगा परंतु व्यतिक्रम रहित को अपवर्जित करेगा।

7. **ब्याज** – (1) प्रतिवर्ष 7.9 प्रतिशत ब्याज मास के पांचवे दिन और अंतिम दिन की समाप्ति के बीच खाते की जमा पर निम्नतम अतिशेष पर कैलेंडर मास के लिए अर्ह होगा।

(2) प्रत्येक वर्ष के अंत में खाते पर ब्याज जमा होगा।

(3) वर्ष के दौरान अंतरण के कारण लेखा कार्यालय के परिवर्तन का विचार किए बिना वर्ष के अंत में जमा किया जाएगा।

8. **ऋण** – (1) वर्ष के अंत से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी भी समय जिसमें आरंभिक अभिदान किया गया था, परंतु वर्ष के अंत से पांच वर्षों की समाप्ति से पूर्व जिसमें आरंभिक अभिदान किया गया था, खाता धारक तात्कालिक पूर्ववर्ती वर्ष के

दूसरे वर्ष की समाप्ति पर, जिसमें ऋण के लिए आवेदन किया है, उसके जमा के लिए जारी कुल रकम का पच्चीस प्रतिशत से अनधिक राशि के ऋण को सम्मिलित करके प्राप्त करने के लिए लेखा कार्यालय को प्ररूप-2 में आवेदन कर सकेगा।

(2) अवयस्क या विकृतचित्त व्यक्ति की ओर से खोले गए खाते के मामले में, संरक्षक लेखा कार्यालय में निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को जमा करके अवयस्क या विकृतचित्त व्यक्ति के लाभ के लिए ऋण हेतु आवेदन दे सकेगा, अर्थात् :-

“यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्याहरण की मांग के बीच उपयोग के लिए अपेक्षित है और श्री/श्रीमती/मास्टर/कुमारी..... के कल्याण के लिए, जो अवयस्क/विकृतचित्त व्यक्ति/शारीरिक शैथिल्यता के कारण अपने खाते का प्रचालन करने में असमर्थ व्यक्ति है और दिन.....मास.....वर्ष.....को जीवित है।”

(3) खाता धारक नए ऋण के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक पूर्ववर्ती ऋण का उसके ब्याज सहित पूर्णतया प्रतिसंदाय न कर दे।

(4) खाता धारक एक वर्ष में केवल एक ऋण के लिए हकदार होगा।

9. ऋण और ब्याज का प्रतिसंदाय-(1) ऋण का मूल रकम अनुगामी मास जिसमें ऋण स्वीकृत किया गया है, के मास के प्रथम दिन से छत्तीस मास की समाप्ति के पूर्व खाता धारक द्वारा प्रतिसंदाय किया जाएगा:

परंतु, प्रदिसंदाय या तो एकमुश्त राशि या किस्तों में कर सकेंगे।

(2) ऋण के मूल रकम का पूर्णतया प्रतिसंदाय के पश्चात्, खाता धारक अनुगामी मास के जिसमें मास के अंतिम दिन ऋण लिया गया है, जिसमें ऋण की अंतिम किस्त का प्रतिसंदाय किया गया है, के मास के प्रथम दिन से आरंभ होने वाली अवधि के लिए मूल ऋण एक प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर दो मासिक किस्तों से अनधिक ब्याज संदत्त करेगा:

परंतु, जहां छत्तीस मास की अवधि के भीतर ऋण का प्रतिसंदाय नहीं किया गया है, या भाग में प्रतिसंदाय किया गया है, बकाया ऋण के रकम पर ब्याज एक प्रतिशत प्रति वर्ष के एवज में छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भारित होगा, अनुगामी मास के प्रथम दिन से प्रभावी, जिसमें ऋण प्राप्त किया गया था, मास के अंतिम दिन जिसमें ऋण का अंतिम रूप से प्रतिसंदाय किया गया।

(3) उप-पैरा (2) के परंतुक के अधीन बकाया ऋण की रकम पर ब्याज और संदत्त ब्याज का कोई भाग, जो संदत्त नहीं है, किसी ऋण पर मूल रकम छत्तीस मास की अवधि के भीतर पहले से ही प्रतिसंदत्त है, बकाया होने पर, खाता-धारक के खाते से विकलित की जाएगी।

(4) वसूली योग्य ब्याज केन्द्रीय सरकार को प्रोत्भूत होगा।

(5) बकाया ऋण पर ब्याज, जो छत्तीस मास की समाप्ति के पूर्व संदत्त नहीं है या भागतः संदत्त है, प्रत्येक वर्ष के अंत में खाता धारक के खाते से विकलित होगा।

(6) खाता धारक की मृत्यु की दशा में, नामिती या विधिक उत्तराधिकारी खाता धारक द्वारा उपयोग किए गए ऋण पर ब्याज के संदाय के लिए उत्तरदायी होगा, परंतु उसकी मृत्यु से पूर्व संदत्त न किया हो। ऐसे देय ब्याज की रकम खाते के अंतिम बंदी के समय समायोजित किया जाएगा।

10. खाते से प्रत्याहरण – (1) उस वर्ष के अंत से पांच की समाप्ति के पश्चात् किसी भी समय, जब खाता खोला गया था, खाता धारक अपने प्रत्यय के अतिशेष से प्ररूप-2 में आवेदन करके प्रत्याहरण का उपयोग कर सकेगा, जो रकम के पचास प्रतिशत से अधिक की रकम न हो, जो प्रत्याहरण के वर्ष के तत्काल चार पूर्ववर्ती वर्ष के अंत पर या पूर्ववर्ती वर्ष की समाप्ति पर, जो भी न्यूनतम हो :

परंतु, बकाया ऋण की रकम, यदि कोई हो, ब्याज के साथ इस पैरा के अधीन प्रत्याहरण की सुविधा का उपभोग करने से पूर्व खाता धारक द्वारा संदत्त किया जाएगा :

परंतु यह और कि प्रत्याहरण की सुविधा केवल खातों से वर्ष में केवल एक बार उपयोग कर सकेगा, जो बंद न हुआ हो।

(2) अवयस्क या विकृतचित्त व्यक्ति की ओर से खोले गए खाते की दशा में, संरक्षक लेखा कार्यालय में निम्नलिखित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके अवयस्क या विकृतचित्त व्यक्ति के लाभ के लिए प्रत्याहरण हेतु आवेदन कर सकेगा, अर्थात् :-

“प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/मास्टर/कुमारी..... जो अवयस्क /विकृतचित्त व्यक्ति/शारीरिक दुर्बलता के कारण अपना खाता खोलने में असमर्थ व्यक्ति है..... (दिन).....(मास).....(वर्ष) को जीवित है, के प्रयोग और कल्याण के लिए अपेक्षित है।”

11. **परिपक्वता के पश्चात् निक्षेपों के बिना खाते की बंदी या खाते को चालू रखना-** (1) वर्ष के अंत से पंद्रह वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी भी समय, जब वह खाता खोला गया था, खाता धारक अपने खाते की बंदी के लिए खाता कार्यालय को प्ररूप-3 में आवेदन कर सकेगा। खाता कार्यालय पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन तक, जिसमें खाता बंद किया गया है, बकाया ब्याज सहित सम्पूर्ण अतिशेष के प्रत्याहरण की अनुज्ञा देगा।

(2) खाता धारक किसी अवधि के लिए किसी भावी निक्षेपों को किए बिना परिपक्वता के पश्चात् अपने खाते का प्रतिधारण कर सकेगा और खाते का अतिशेष स्कीम के लिए लागू दर पर ब्याज प्राप्त करता रहेगा :

परंतु, खाता धारक अतिशेष के भीतर किसी रकम का प्रत्येक वर्ष में एक प्रत्याहरण कर सकेगा।

(3) एक वर्ष से अधिक निक्षेपों के बिना खाता एक बार चालू है, तो खाता धारक को पुनः निक्षेपों के साथ खाते को चालू रखने का विकल्प नहीं होगा।

12. **परिपक्वता के पश्चात् निक्षेपों के साथ खाते का विस्तार** – (1) पैरा 11 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, खाता धारक वर्ष के अंत से पंद्रह वर्षों की समाप्ति पर, जिसमें खाता खोला गया था अपने खाते का विस्तार कर सकेगा और प्ररूप-4 में लेखा कार्यालय को आवेदन द्वारा आगे पांच वर्षों की ब्लाक अवधि के लिए पैरा 4 के अधीन निक्षेप को चालू रख सकेगा।

(2) उप-पैरा (1) के अधीन खाते के विस्तार का विकल्प खाते के परिपक्वता से एक वर्ष की समाप्ति के पूर्व खाता धारक द्वारा किया जा सकेगा:

परंतु, अवयस्क या विकृतचित्त व्यक्ति की ओर से खोला गया खाता संरक्षक के अनुरोध पर विस्तारित किया जा सकेगा।

(3) यदि खाता धारक परिपक्वता की तारीख से एक वर्ष के भीतर खाते को चालू करने के लिए अपने विकल्प देने में असफल रहता है, तो खाते में कोई भी निक्षेप नहीं किया जा सकता है। ऐसे खाते में किया गया कोई भी निक्षेप अनियमित समझा जाएगा और किसी ब्याज के बिना तत्काल लेखा कार्यालय द्वारा वापस कर दिया जाएगा।

परंतु, परिपक्वता की तारीख पर खाते में अतिशेष बंदी के मास के पूर्ववर्ती मास के अंत तक प्राप्त को चालू रखेगा।

(4) स्कीम के पैरा 10 के अधीन आंशिक प्रत्याहरण की सुविधा उप-पैरा (1) के अधीन विस्तारित खाते के लिए उपलब्ध होगा, पांच वर्षों के ब्लाक अवधि के दौरान कुल प्रत्याहरण की शर्त के अधीन यह है कि ब्लाक अवधि के आरंभ पर अतिशेष के साठ प्रतिशत से अधिक नहीं होगा:

परंतु प्रत्याहरण, उपर्युक्त यथा विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा के अधीन या तो एकल या वार्षिक किस्तों में किया जा सकेगा।

(5) उप-पैरा (1) उप-पैरा (4) तक के उपबंध पांच वर्षों की प्रत्येक विस्तारित ब्लाक अवधि की समाप्ति पर परिपक्वता के पश्चात् के खातों पर भी लागू होगा।

(6) यदि खाता, एक या पांच से अधिक ब्लाक अवधियों के लिए निक्षेपों के साथ चालू है, खाता धारक किसी ब्लाक, अवधि के पूर्ण होने पर निक्षेपों के बिना खाते को छोड़ सकेगा और खाता के बंद होने तक ब्याज पाता रहेगा तथा खाता धारक खाते से प्रत्येक वर्ष एक प्रत्याहरण कर सकेगा।

(7) खाता धारक, जो पांच वर्षों की अवधि के लिए खाते के विस्तार के लिए अपने विकल्प को दिया है, बाद के प्रक्रम पर अपने अनुरोध को प्रत्याहरण करने के लिए विकल्प नहीं होगा।

13. **खाते की समयपूर्व बंदी**—(1) एक खाता धारक निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर, प्ररूप – 5 में लेखा कार्यालय को आवेदन अपने खाते या अवयस्क या विकृतचित्त व्यक्ति, जिसका वह संरक्षक है, की समयपूर्व बंदी अनुज्ञात की जाएगी, अर्थात् :-

(क) खाता धारक, उसकी पति पत्नी या आश्रित बच्चे या माता-पिता के जानलेवा बीमारी का ईलाज, चिकित्सा प्राधिकारी के ईलाज से सहयोगकारी दस्तावेजों और ऐसे रोगों को स्पष्ट करने वाली चिकित्सा रिपोर्ट के प्रस्तुत करने पर;

(ख) भारत या विदेश में उच्च शिक्षा के लिए मान्यताप्राप्त संस्थान में प्रवेश की पुष्टि में दस्तावेजों और फीस के बिलों को प्रस्तुत करने पर खाता धारक या आश्रित बच्चों की उच्च शिक्षा;

(ग) पासपोर्ट या वीजा या आयकर विवरणी के प्रस्तुत करने पर खाता धारक के निवासी प्रास्थिति में परिवर्तन होने पर:

परंतु इस स्कीम के अधीन खाता वर्ष के अंत से, जिसमें खाता खोला गया था, पांच वर्षों की समाप्ति से पूर्व बंद नहीं होगा :

परंतु यह और कि ऐसे समयपूर्व बंदी पर, खाता का ब्याज ऐसे दर पर अनुज्ञात की जाएगी, जो उस दर से एक प्रतिशत के कम होगा, जो खाते के खोलने की तारीख से या खाते के विस्तार की तारीख से, जैसी भी स्थिति हो, समय-समय पर खाते में प्रत्यय हुई है।

14. **खाताधारक की मृत्यु पर खाते की बंदी** – (1) खाताधारक की मृत्यु होने पर खाता बंद हो जाएगा और नामनिर्देशिती या विधिक उत्तराधिकारी खाते को चालू करने के लिए अनुज्ञात नहीं होगा।

(2) मृत खाताधारक के खाते में अधिशेष पूर्ववर्ती मास के अंत पर जिसमें पात्र अधिशेष नामनिर्देशिती या विधिक उत्तराधिकारी को जैसी भी दशा हो, मास के अंत तक ब्याज दिया जाएगा।

15. **कुर्की से प्रत्यय अधिशेष का संरक्षण** – किसी खाताधारक के प्रत्यय में रखी गई रकम खाताधारक द्वारा उद्भूत किसी ऋण या दायित्व के संबंध में किसी न्यायालय के किसी आदेश या डिक्री के अधीन कुर्की के लिए दायी नहीं होगा।

16. **साधारण नियम का आवेदन** – साधारण नियमों का उपबंध जहां तक हो सके, ऐसे मामलों के संबंध में लागू होगा जिसके लिए इस स्कीम में कोई उपबंध न किया गया हो।

17. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केंद्रीय सरकार खाताधारक के किसी असम्यक कठिनाई के कारण इस स्कीम के उपबंधों के प्रचालन पर संतुष्ट हैं तो लिखित में अभिलिखित कारणों और आदेश द्वारा ऐसे उपबंध की अपेक्षा या ऐसे खाताधारक के संबंध में उपबंधों से छूट दे सकेगी जो अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो।

[फा. सं. 2/2/2018-एनएस(भाग-I)]

रजत कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

प्ररूप -1

[पैरा 3 का उप-पैरा (1) देखें]

(खाता खोलने के लिए आवेदन)

सेवा में,

डाकपाल/प्रबंधक

आवेदक/आवेदकों की फोटो चिपकाएँ

श्रीमान,

मैं -----(खाता धारक/संरक्षक) एतद्वारा लोक भविष्य निधि स्कीम के अधीन खाता खोलने के लिए आवेदन करता हूँ।

मैं आरंभिक जमा के रूप में -----/-----रूपए)

नकद/चैक/डीडी सं. -----तारीख-----द्वारा निविदान करते हूँ।

मेरी विशिष्टियां निम्न प्रकार है:-

1. खाता धारक का नाम

पति/पिता/माता का नाम

जन्म तिथि

तारीख/मास/वर्ष (शब्दों में)-----

2. अवयस्क खाता धारक का नाम

पिता/माता का नाम या संरक्षक

जन्म तिथि

तारीख/मास/वर्ष (शब्दों में)-----

3. खाता धारक/संरक्षक का आधार संख्या -----
4. खाता धारक/संरक्षक के स्थायी खाता संख्या (पैन) -----
5. वर्तमान पता-----
स्थायी पता -----
6. सम्पर्क ब्यौरे दूरभाष संख्या
मोबाइल नं.
ई-मेल आई डी
7. खाते का प्रकार एकल या अवयस्क या
विकृतचित के संरक्षक के माध्यम से या दृष्टिहीन
अथवा दिव्यांगजन के प्रधिकृत व्यक्ति द्वारा
8. (*) अवयस्क के जन्म तारीख के ब्यौरे
(अवयस्क खाते के मामले में लागू)
(क) प्रमाण पत्र सं.
(ख) जारी करने की तारीख
(ग) जारी करने वाला प्राधिकारी
9. (*) संरक्षक का नाम (नैसर्गिक/विधिक-----)
(अवयस्क/विकृतचित व्यक्ति की ओर से खोले गए खाते की दशा में)
10. अन्य संलग्न के वाई सी दस्तावेजो के ब्यौरे
1. पहचान का सबूत
2. पते का सबूत
11. पहिचान और पते के सबूत के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज विधिमान्य दस्तावेजों के रूप में स्वीकृत;
1. पासपोर्ट 2. चालान अनुज्ञप्ति 3. मतदाता पहिचान पत्र 4. राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया गया नरेगा द्वारा जारी जाब कार्ड 5. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा नाम और पते के ब्यौरे अंतर्विष्ट करते हुए जारी पत्र
1. खाते का संचालन किया जाएगा:- (क) संरक्षक द्वारा खाता धारक के अवयस्क होने तक
(ख) खाता धारक द्वारा जब वह वयस्क हो जाय

12. नमूना हस्ताक्षर

1-----2-----3-----
(नाम)-----

मै यह घोषणा करता हूं कि मैं क्रम संख्या 1 पर वर्णित स्वयं/अवस्यक के नाम से लोक भविष्यनिधि खाता, देश के किसी भी डाकखाना/बैंक में नहीं खुलवाया हूं

मैं पुनः यह घोषणा करता हूं कि मैं अपने नाम खुले खाते में अधिकतम जमा सीमा का पालन करूंगा और पैरा 4 में उपबंधित अवयस्क के नाम और सीमा से अधिक जमा को स्कीम का उल्लंघन माना जाय।

मैं पुनः घोषणा करता हूं कि मैं और अवयस्क दोनों भारत में निवासी नागरिक हूं और वचन देता हूं कि भविष्य में निवास/नागरिकता के बदलने की दशा में खाता कार्यालय को सूचित करूंगा।

मैं, स्कीम पर लागू उपबंधों और स्कीम को लागू सरकारी बचत संवर्धन नियम, 2018 और उसके अधीन समय-समय पर जारी संशोधनों, का पालन का वचन देता हूँ।

तारीख

खाता धारक/संरक्षक के हस्ताक्षर
या अंगूठा छाप

नामनिर्देशन

13. मैं नीचे उल्लिखित व्यक्तियों का नाम निर्देशन करता हूँ जिनको मेरी मृत्यु की दशा में अन्य व्यक्तियों को अपवर्जित करके मेरी जमा रकम को मेरी मृत्यु के समय संदत्त की जाएगी:

| क्र.सं. | नाम निर्देशिती(यों) का नाम (के) और संबंध | पूरा पता (पते) | नाम निर्देशिती का आधार संख्यांक नाम (वैकल्पिक) | अवयस्क के मामले में नाम निर्देशिती के जन्म की तारीख | हकदारी का अंश | हकदारी की प्रकृति, न्यासी या स्वामी |
|---------|--|----------------|--|---|---------------|-------------------------------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |

चूंकि क्रम संख्या (को) -----विनिर्दिष्ट नाम निर्देशिती(यां) अवयस्क है/हैं, मैं श्री/श्रीमती/कुमारी-----पुत्री/पुत्र/पत्नी-----निवासी -----को नाम निर्देशितियों की अवयस्कता के दौरान मेरी मृत्यु की दशा में उक्त खाते के अधीन देय राशि को प्राप्त करने के लिए नियुक्त करता हूँ।

1. साक्षी के हस्ताक्षर---

नाम और पता---

2. साक्षी का नाम

नाम और पता

खाताधारक(को)/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप

स्थान-----

तारीख-----

पोस्टऑफिस/बैंक के प्रयोग हेतु

यह खाता -----के नाम में तारीख-----को रु.-----के आरंभिक जमा के साथ-----खाता संख्यांक----- तारीख -----द्वारा खोला गया है।

ग्राहक पहचान संख्यांक----

नाम निर्देशन संख्यांक-----तारीख-----द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा

प्ररूप-2

[पैरा 10 और पैरा 8 का उप-पैरा(1) देखें]
(आहरण/ऋण के लिए आवेदन)

सेवा में

डाकपाल/प्रबंधक

श्रीमान,

मैं ----- (खाताधारक/संरक्षक) एतद्वारा नीचे दिए गए विवरण के अनुसार मेरे खाते से ऋण/आहरण के लिए आवेदन:-

खाता संख्या -----

आवेदित ऋण/आहरण की रकम-----

यह प्रमाणित किया जाता है कि आहरण के लिए चाही गई रकम /लिया गया ऋण जीवित और विद्यमान अवयस्क.....के उपयोग के लिए आपेक्षित है।

2. ----- कृपया मेरे एसबी खाता संख्या-----में ऋण/आहरण की जमा रकम
(लेखा कार्यालय का नाम)

या

कृपया मांगदेय ड्राफ्ट/पाने वाले के खाते में देय चेक को जारी करें।

या

कृपया नकदी में भुगतान करें (यह तभी लागू होगा जब रकम अनुज्ञेय नकदी भुगतान की सीमा से कम है।)

3. मैं प्रमाणित करता हूँ कि आहरण/ऋण के अनुदान के लिए स्कीम में अधीन लागू सभी उपबंधों का अनुपालन किया गया है।

आवश्यक दस्तावेज, जैसा कि लागू हैं नीचे संलग्न हैं:-

1.

2.

तारीख

खाताधारक/संरक्षक के हस्ताक्षर

या अंगूठे का निशान

द्वारा अनुप्रमाणित किया गया -----

(अंगूठे के निशान की दशा में अनुप्रमाणन लागू होगा)

कार्यालय के उपयोग हेतु

संदाय विवरण

खाते में उपलब्ध राशि -----रु.

प्रारम्भिक अभिदान की तारीख -----

तारीख जब अंतिम आहरण/ऋण अनुज्ञात किया गया था -----

आहरण/ऋण के लिए मंजूर की गई कुल रकम----- (अंकों में)

----- (शब्दों में)

तारीख मुद्रा

डाकपाल/प्रबंधक के हस्ताक्षर

निस्तारण

(खाता धारक द्वारा भरा जाय)

------(अंकों में)------(शब्दों में) रुपए
 नकद द्वारा प्राप्त हुए /चैक /डीडी संख्या -----तारीख -----द्वारा खाता संख्या ----
 -----में अंकित किए गए

तारीख

खाता धारक/संरक्षक के
 हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

प्ररूप – 3

[पैरा 11 के उप-पैरा (1) देखें]
(खाता बंद करने के लिए आवेदन)

डाकघर/बैंक का नाम----- तारीख-----

खाता संख्या -----

1. मैं पासबुक/जमा रसीद प्रस्तुत कर रहा हूं और मेरे उपरोक्त वर्णित खाते को तारीख -----
पर परिपक्व होने पर बन्द करने के लिए आवेदन करता हूं।
2. कृपया मेरे परिपक्व खाते में से उपयुक्त अतिशेष-----कार्यालय का नाम जहां खाता स्थित
है) पर मेरे एसबी खाता संख्या -----में रकम जमा करें।

या

कृपया मांगदेय ड्राफ्ट/पाने वाले खाते में देय चेक जारी करे।

कृपया नकद संदाय करे (लागू होगा यदि रकम अनुज्ञेय सीमा से कम है।)

यह प्रमाणित किया जाता है कि खाते की रकम जीवित और विद्यमान अवयस्क -----के उपयोग के
लिए आपेक्षित है।

खाता धारक/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

(जमाकर्ता के अंगूठे का निशान खाते वाले कार्यालय से परिचित व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए)

संदेय आदेश

(केवल कार्यालय प्रयोग के लिए)

तारीख-----

संदाय के ब्यौरे

मूल रकम रुपयों में-----

(+) ब्याज रकम रुपयों में -----

(-) अधिदत्त ब्याज की वसूली-----रूपये

यदि कोई कटौती है----- रूपये

देय कुल राशि----- रूपये

भुगतान----- रूपये (आंकड़ों में)----- (शब्दों में)

स्थान:

तारीख:

पोस्टमास्टर/मैनेजर के हस्ताक्षर

निस्तारण
(जमाकर्ता द्वारा भरा जाना है)

----- खाता संख्या के अंतरण द्वारा----- तारीख----- नकद/चेक/डीडी वीयरिंग संख्या-----
----- द्वारा----- (शब्दों में)----- अँकडों में रूपये प्राप्त ।

तारीख:

खाताधारक/अभिभावक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

प्ररूप- 4
(पैरा 12 का उप पैरा- 1 देखें)
(खाते के विस्तार के लिए आवेदन)

सेवा में

डाकपाल/प्रबंधक-----

श्रीमानजी,

1; मेरा पी पी एफ खाता संख्या----- तारीख----- को परिपक्व हो गया है ।

2; मैं अपने पी पी एफ खाता संख्या----- का आगे 5 वर्ष की अवधि के लिए विस्तार करने के लिए अनुरोध करता/करती हूँ ।

3; मैंने समय-समय पर यथासंशोधित उक्त स्कीम के अधीन अवधि के विस्तार के दौरान खाते पर लागू निबंधनों और शर्तों को समझ लिया है और उसका पालन करूंगा/करूंगी ।

मैं धोषणा करता/करती हूँ कि मेरी और अवयस्क की (अवयस्क के खाते के मामले में) 5 वर्ष की अवधि के प्रारंभ के समय भारत की नागरिकता कायम रहेगी ।

स्थान-----

तारीख-----

खाताधारक (कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर
(नाम और पता)

कार्यालय प्रयोग के लिए

खाता सं0----- जो तारीख----- को ----- रूपये के साथ खोला गया था और
तारीख----- को परिपक्व हुआ था, का ----- स्कीम के ----- नियम के
अधीन तारीख----- से ----- तक----- वर्षों की अवधि के लिए विस्तार किया गया है ।

अभिलेखों और पासबुक और जमा रसीद/खाते के विवरण में आवश्यक प्रविष्टियां की जा चुकी है ।

तारीख:

डाकपाल/प्रबंधक के हस्ताक्षर

मुद्रा

प्ररूप- 5

(पैरा 13 का उप पैरा- 1)

(समयपूर्व खाता बंद करने के लिए आवेदन)

सेवा में

डाकपाल/प्रबंधक-----

श्रीमानजी,

1; मैं अपना बचत खाता संख्या----- जिसका अतिशेष----- (मात्र -----
--- रुपये) हैं को समयपूर्व बंद करना चाहता/चाहती हूँ और नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार लागू शास्ति को धटाने के पश्चात्
रकम का संदाय करने का अनुरोध करता/करती हूँ:-

कृपया----- (कार्यालय का नाम जहां खाता स्थित है) पर मेरे एसबी खाता संख्या----- में
रकम जमा करें।

या

कृपया मांगदेय ड्राफ्ट/पाने वाले खाते में देय चेक जारी करें।

या

कृपया नगद संदाय करें (लागू होगा यदि रकम अनुज्ञेय सीमा से कम है)

2; मैं यह धोषणा करता/करती हूँ कि वह शर्त जिसके अधीन खाता परिपक्वता से पूर्व खाता बंद किया जा सकता है, का
अनुपालन कर लिया गया है।

निम्नानुसार यथा लागू आवश्यक दस्तावेज संलग्न हैं:-

1

2

यह प्रमाणित किया जाता है कि खाते की रकम जीवित और विद्यमान अवयस्क----- के उपयोग के लिए
अपेक्षित है।

तारीख-----

खाताधारक (कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

(जमाकर्ता के अंगूठे का निशान उस कार्यालय से जहां खाता है, परिचित व्यक्ति द्वारा अनुप्रमाणित किया जाना चाहिए)

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए
संदाय के ब्यौरे

खाते में उपयुक्त अतिशेष-----

घटाई गई शास्ति की रकम-----

संदत्त किए जाने वाली कुल रकम----- (अंकों में)

(शब्दों में)-----

तारीख:

डाकपाल/प्रबंधक के हस्ताक्षर

मुद्रा

निस्तारण पत्र

(खाताधारक/संदेशवाहक द्वारा भरा जाए)

----- (अंको में)----- (शब्दों में) रूपये नकद द्वारा प्राप्त हुए/चैक/डीडी संख्या----- तारीख-----
 ----- द्वारा खाता संख्या----- में अंतरित किए गए।

तारीख:

खाताधारक (कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2019

G.S.R. 915(E).—In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) This Scheme may be called the Public Provident Fund Scheme, 2019.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions.-(1) In this Scheme, unless the context otherwise requires,-

- (a) “account” means an account under this scheme;
- (b) “account holder” means an individual in whose name the account is held;
- (c) “Act” means the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873);
- (d) “Form” means forms appended to this Scheme;
- (e) “General Rules” means the Government Savings Promotion General Rules, 2018;
- (f) “year” means the financial year.

(2) Words and expressions used herein but not defined shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and in the General Rules.

3. Limits of number of accounts.-(1) An individual may open an account by making an application in Form-1.

(2) An individual may also open one account on behalf of each minor or a person of unsound mind of whom he is the guardian:

Provided that only one account shall be opened in the name of a minor or a person of unsound mind by any of the guardian.

(3) Joint account shall not be opened under this Scheme.

4. Limits of subscription.-(1) A deposit which shall not be less than five hundred rupees and not more than one lakh fifty thousand rupees in multiple of fifty rupees may be made in an account in a year.

(2) Maximum limit of one lakh fifty thousand rupees as specified in sub-paragraph (1) by an individual shall be inclusive of the deposits made in his own account and in the account opened on behalf of the minor.

5. Manner of making deposit.- (1) The account shall be opened with a minimum initial deposit of five hundred rupees and thereafter deposit of any sum in multiples of fifty rupees shall be made.

(2) The deposit in the account subject to the limits mentioned in paragraph 4 may be made in the account in one lump sum or in instalments.

6. Discontinuation of account.-(1) Any account in which the account holder, having deposited five hundred rupees in the initial year, fails to deposit the minimum amount in the following years, shall be treated as discontinued.